

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर

ग्राम फार्म नर्सरी खातीपुरा रोड, जयपुर

क्रमांक:-एफ(ए) एफसीए/प्रत्यावर्तन/उवसंज/2021/ 4720

दिनांक: 27.05.21

निमित्त:-

मुख्य वन संरक्षक,

जयपुर

विषय:- प्रपोजल नं. एफ.ए/आर.जे./वाटर/42602/2019 के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर) जयपुर के पत्रांक 510-13 दिनांक 26.05.2021 एवं राजस्थान सरकार वन विभाग जयपुर से जारी पत्रांक प. 1(40) वन 2020 जयपुर दिनांक 28.04.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांको के क्रम में निवेदन है कि प्रस्तावित पाईप लाईन के प्रस्ताव (एफ.ए/आर.जे./वाटर/42602/2019) में पंप हाउस जो पहले से वन भूमि पर बना हुआ है इसके संबंध में अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर) जयपुर ने जरिये पत्रांक 510-13 दिनांक 26.05.2021 (संलग्न छायाप्रति) द्वारा यह अवगत करवाया है कि न्यू फिल्टर प्लांट (पूर्व में निर्मित) से संबंधित भूमि स्वामित्व के दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वन भूमि पर पहले से बने हुए पंप हाउस (न्यू फिल्टर प्लांट)का निर्माण कार्य लगभग वर्ष 1979-80 में शुरू किया गया था।

अतः पत्र चार प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वीर सिंह ओला)

उप वन संरक्षक

जयपुर

27.05.21

1

2

3



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

परियोजना खण्ड- II (उत्तर), जयपुर (राज.)

नियर रिजर्व बैंक कॉलोनी, गांधीनगर, जयपुर-302016

ई-मेल आईडी scpcjpr@gmail.com

दूरभाष नं. (कार्यालय)-0141-2711894

क्रमांक :- अ.अ./जन.स्वा./परि.खण्ड- II (उत्तर)/जयपुर/2021-22/510-13

दिनांक:- 26-05-2021

श्रीमान् उप वन संरक्षक,

जयपुर।

Email id: dfosouthjpr@gmail.com


विषय :- प्रपोजल न. एफ.पी/आर.जे/वाटर/42602/2019 स्वीकृति हेतु।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय का पत्रांक: 486-87 दिनांक: 24.05.2021।

2. आपके कार्यालय का पत्रांक: एफ(3)/FCA/प्रत्यावर्तन/उवसंज/2021-22/4650
दिनांक: 19.05.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा आपके द्वारा पूर्व निर्मित पम्प हाऊस की जानकारी चाही गई है। लेख है कि उक्त पम्प हाऊस जलदाय विभाग के नियमित खण्ड के अधीन आता है एवं नियमित खण्ड द्वारा अवगत करवाया है कि पूर्व में जयपुर की पेयजल आपूर्ति रामगढ़ बांध का निर्माण वर्ष 1901 में कर बंधगेट स्थित हैडवर्क्स से लक्ष्मण डूंगरी फिल्टर प्लांट द्वारा वर्ष 1930 में शुरू की गयी परन्तु बढ़ती मांग को देखते हुए द्वितीय फेज में न्यू फिल्टर प्लांट पर पम्प हाऊस व फिल्टर प्लांट का निर्माण करवाया गया, न्यू फिल्टर प्लांट के भूमि स्वामित्व सम्बन्धित कोई दस्तावेज कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं तथा इस बाबत स्थानीय लोगों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि न्यू फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य लगभग वर्ष 1979-80 में शुरू किया गया था।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


26.5.2021

(अंजू हर्ष)

अधिशाषी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग


परियोजना खण्ड- II (उत्तर) जयपुर

दिनांक: 26-05-2021

क्रमांक:- अ.अ./जन.स्वा./परि.खण्ड- II (उत्तर)/जयपुर/2021-22/510-13

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूच्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना वृत्त, शहर जयपुर।(scpcjpr@gmail.com)
2. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर वृत्त (उत्तर), जयपुर।(phedsecjpr_phed@yahoo.com)
3. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (उत्तर), ब्रह्मपुरी, जयपुर।
(een3jpr@gmail.com)


26.5.2021

अधिशाषी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

परियोजना खण्ड- II (उत्तर) जयपुर